भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 888
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों में तकनीकी गड़बड़ियाँ

888. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को हाल ही में बोइंग 787 उड़ानों में रिपोर्ट की गई तकनीकी गड़बड़ियों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बोइंग 787 विमानों में तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर कोई विशेष संपरीक्षा कराई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): प्रचालनों के दौरान विमान पर फिट किए गए उपकरण के पुर्जों की खराबी के कारण विमान तकनीकी गड़बड़ियों का अनुभव कर सकता है जिसके लिए निरंतर सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा हेतु एयरलाइनों द्वारा सुधार संबंधी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता होती है। इन तकनीकी स्नैग/घटना की सूचना उड़ान चालक दल द्वारा कॉकपिट में श्रव्य/दृश्य चेतावनी प्राप्त होने या निष्क्रिय/दोषपूर्ण प्रणाली के संकेत मिलने या विमान को संभालने/प्रचालित करने में कठिनाई का अनुभव करने पर दी जाती है। ये स्नैग विमान की उड़ान रिपोर्ट बुक में उड़ान चालक दल द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उड़ान के पूरा होने के बाद विनिर्माता वायुयान अनुरक्षण निर्देशिका (एएमएम) / समस्या निवारण मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी जांच यथोचित योग्य और टाइप-रेटेड विमान अनुरक्षण अभियंता (एएमई) द्वारा की जाती है। इसके बाद स्नैग को एएमएम प्रक्रिया के अनुसार ठीक किया जाता है और इसमें पुर्जों का बदलाव, परीक्षण, सर्विसिंग आदि शामिल हो सकते हैं। संतोषजनक सुधार हो जाने पर विमान, सेवा के लिए मुक्त किया जाता है और इस आशय की प्रविष्टि फ्लाइट रिपोर्ट बुक में की जाती है।

जुलाई, 2025 से, एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा बोइंग 787 विमान में 03 तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दी गई थी;

अहमदाबाद में दिनांक 12.06.2025 को बोइंग 787 विमान की दुर्घटना के पश्चात नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 13.06.2025 को एयरलाइन को बोइंग-

787 विमान के बेड़े के संबंध में उन्नत सुरक्षा निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया गया। सभी बोइंग विमानों की जांच की गई और उन्हें एयरलाइन द्वारा संतोषजनक पाया गया।

डीजीसीए, एयरलाइनों और इसके कर्मियों की निगरानी, स्पॉट चेक, रात्रिकालीन निगरानी आदि की व्यवस्था के माध्यम से संरक्षा और रखरखाव संबंधी सभी मानकों के साथ एयरलाइनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। निगरानी, स्पॉट चेक और रात्रिकालीन निगरानी के दौरान पाई गई कमियों/निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए इन्हें एयरलाइनों को उपलब्ध कराया जाता है। उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है जिसमें एयरलाइनों/कर्मियों पर वित्तीय दंड लगाने सहित चेतावनी, निलंबन, रद्द करना शामिल हो सकते हैं।

*****